रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112024-258622
CG-DL-E-13112024-258622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946
No. 644] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

**सा. का. नि. 703(अ).**— केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, निम्नलिखित श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को उक्त उपधारा के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा सूचीबद्ध 20 तक के प्रदूषण इंडेक्स स्कोर वाले सभी औद्योगिक संयंत्र, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसा संयंत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित में सूचित करेगा;

(ख) सभी औद्योगिक संयंत्र, जिन्होंने ऐसे संयंत्र स्थापित करने की पूर्व सहमति की बाबत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली है।

अधिनियम और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाये।

[फा. सं. क्यू -15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू-भाग (1)/इ-240741]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

## अनुसूची

### 2016 की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार समय-समय पर सीपीसीबी द्वारा वर्गीकृत क्षेत्रों की श्वेत श्रेणी की सूची

1. एयर कूलर/कंडीशनरों की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
2. साइकिलों, बच्चों की गाड़ियों और अन्य छोटे गैर-मोटर वाहनों की असेंबली
3. अपशिष्ट कागज़ों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)
4. अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव-कीटनाशक
5. रोल्ड पीवीसी शीट से बिस्कुट ट्रे आदि (स्वचालित वैक्यूम बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके)
6. चाय का मिश्रण और पैकिंग
7. बिना फाउंड्री के छपाई का ब्लॉक बनाना (लकड़ी का ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
8. प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल बॉयलर आदि के बिना कास्टिंग)। (सौर शुष्कता /विद्युत ओवन)
9. कच्चे तरल ऑक्सीजन से संपीड़ित ऑक्सीजन गैस (किसी भी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखकर)
10. कपास और ऊनी होज़ियर बनाना (बिना किसी रंगाई /धुलाई के केवल शुष्क प्रक्रिया)
11. डीजल पंप मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
12. केवल असेंबलिंग द्वारा इलेक्ट्रिक लैंप (बीयूएलबी) और सीएफएल विनिर्माण
13. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबलिंग (पूरी तरह से शुष्क प्रक्रिया)
14. इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयां (बिना किसी ऊष्म- उपचार / धातु सतह परिष्करण संचालन / पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
15. *सुगंधित* सुपारी उत्पादन/पीसना (पूरी तरह से शुष्क यांत्रिक संचालन)
16. फ्लाई ऐश ईंट/ब्लॉक विनिर्माण
17. केवल असेंबलिंग द्वारा फाउंटेन पेन विनिर्माण
18. कांच की ट्यूब से कांच के एम्प्यूल और शीशियाँ बनाना
19. ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन के साथ मिश्रण द्वारा)
20. मूंगफली के छिलके उतारना
21. हथकरघा/कालीन बुनाई (बिना रंगाई और ब्लीचिंग प्रक्रिया के)
22. चमड़े की कटिंग और सिलाई (10 से अधिक मशीन और मोटर का उपयोग करके)
23. नारियल की भूसी से कॉयर वस्तुओं का विनिर्माण
24. धातु के ढक्कन, कंटेनरों आदि का विनिर्माण
25. जूता ब्रश और वायर ब्रश का विनिर्माण
26. मेडिकल ऑक्सीजन
27. जैविक और अकार्बनिक पोषक तत्व (भौतिक मिश्रण द्वारा)
28. कार्बनिक खाद (मैनुअल मिश्रण)
29. पाउडर दूध की पैकिंग
30. पेपर पिन और यू क्लिप
31. इलेक्ट्रिक मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (ड्राई मैकेनिकल प्रोसेस)
32. रस्सी (प्लास्टिक और कपास)
33. वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण विनिर्माण
34. सौर मॉड्यूल गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाई
35. सौर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा और मिनी हाइडल पावर (25 मेगावाट से कम)

IndiaCode

36. सर्जिकल और मेडिकल उत्पादों की असेंबली (अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करना)

37. प्रयुक्त खाना पकाने का तेल संग्रह (यूसीओ) केंद्र*

38. बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट आदि के आधार पर घरेलू बायो-डाइजेस्टर/गोबर-गैस (काउ-डंग) संयंत्र। **

39. ऐसे सीबीजी संयंत्र जो राजपत्र अधिसूचना संख्या 2051 दिनांक 14.07.2020 और संख्या 1972 दिनांक 01.06.2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप उप-उत्पादों के रूप में क्रमशः एफओएम और एलएफओएम का उत्पादन करते हैं, और पूरे एफओएम और एलएफओएम को भूमि पर उर्वरक या खाद के रूप में उपयोग करते हैं और किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल भी नहीं बहाते हैं**

*क्रम संख्या 1 से 36 की प्रविष्टियों को सीपीसीबी पत्र संख्या बी-29012/ईएसएस (सीपीए)/2015-16 दिनांक 07.03.2016 के माध्यम से वर्गीकृत किया गया था।*

** सीपीसीबी पत्र संख्या बी-29016/आरओजीडब्ल्यू/आईपीसी-VI/2020-21, दिनांक 30.04.2020 माध्यम से वर्गीकृत।*

*** सीपीसीबी पत्र संख्या सीपीसीबी/आईपीसी-VI/आरओजीडब्ल्यू/6686-6730, दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से वर्गीकृत।*

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi,the 12th November ,2024

**G.S.R. 703(E).—**In exercise of power conferred by the proviso to sub-section (1) of section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, exempts the following categories of industrial plants from the application of the provisions of the said sub-section, namely:-

(a) all industrial plants having pollution index score upto 20 as listed in the Schedule to this notification, subject to condition that such plant shall inform in writing to the State Pollution Control Boards or the Pollution Control Committees;

(b) all industrial plants which have obtained prior environmental clearance as per the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), in respect of previous consent to establish such plant.

Subject to the provisions of the Act and this notification, MoEFCC may issue necessary standard operating procedure for streamlining implementation of this notification, as deemed appropriate.

[F.No. Q-15012/2/2022-CPW-Part(1) /e-240741]
VED PRAKASH MISHRA,Jt. Secy.

**SCHEDULE**

**LIST OF WHITE CATEGORY OF SECTORS CLASSIFIED BY CPCB FROM TIME TO TIME, AS PER THE 2016 CLASSIFICATION METHODOLOGY**

1. Assembly of air coolers /conditioners, repairing and servicing
2. Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3. Bailing (hydraulic press) of waste papers
4. Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5. Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6. Blending and packing of tea
7. Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
8. Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying / electrical oven)

9. Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10. Cotton and woolen hosiers making (Dry process only without any dying / washing operation)
11. Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
12. Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13. Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
14. Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment / metal surface finishing operations / painting)
15. Flavoured betel nuts production/ grinding (completely dry mechanical operations)
16. Fly ash bricks/ block manufacturing
17. Fountain pen manufacturing by assembling only
18. Glass ampules and vials making from glass tubes
19. Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20. Ground nut decorticating
21. Handloom/ carpet weaving (without dying and bleaching operation)
22. Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23. Manufacturing of coir items from coconut husks
24. Manufacturing of metal caps containers etc
25. Manufacturing of shoe brush and wire brush
26. Medical oxygen
27. Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28. Organic manure (manual mixing)
29. Packing of powdered milk
30. Paper pins and u clips
31. Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32. Rope (plastic and cotton)
33. Scientific and mathematical instrument manufacturing
34. Solar module non-conventional energy apparatus manufacturing unit
35. Solar power generation through solar photovoltaic cell, wind power and mini hydel power (less than 25 MW)
36. Surgical and medical products assembling only (not involving effluent / emission generating processes)
37. Used Cooking Oil Collection (UCO) Center*
38. Household Bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable waste etc.**
39. CBG plants producing FOM & LFOM as by products in conformity with requirements of Gazette Notification No. 2051 dated 14.07.2020 & No. 1972 dated 01.06.2021, respectively, and utilizing entire FOM & LFOM as a fertilizer or manure on land and also not discharging any wastewater**

*Entries from S. No. 1 to 36 were classified vide CPCB letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated 07.03.2016.*
**Classified vide CPCB letter no. B-29016/ROGW/IPC-VI/2020-21, dated 30.04.2020.*
***Classified vide CPCB letter no. CPCB/IPC-VI/ROGW/6686-6730, dated 22.09.2021.*

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.11.13 16:56:18 +05'30'